497

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 784] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2018/कार्तिक 11, 1940

No. 784] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2018/KARTIKA 11, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1081(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 643(अ) तारीख 12 जुलाई, 2018 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप व सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 12 जुलाई, 2018 को उपलब्ध करा दी गयी थी ;

और, जबकि उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जन साधारण से प्राप्त आक्षेपों व सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

   (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 90, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"**नियम 90 राष्ट्रीय परमिट की अतिरिक्त शर्तें**– धारा 88 की उप–धारा (12) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले राष्ट्रीय परमिट निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:–

(1) "राष्ट्रीय परमिट या एन/पी" बड़े अक्षरों में यान के आगे एवं पीछे लिखे जाएंगे। ट्रेलर की दशा में, "एन/पी" शब्द यान के पीछे बायीं ओर अंकित किया जाएगा।

(2) खतरनाक एवं परिसंकटमय माल ढोने वाले टैंकर की बॉडी को सफेद रंग से रंगा जाएगा और वर्ग लेबल, नियम 137 में यथा–विनिर्दिष्ट, टैंकर के दोनों ओर तथा पीछे प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) यान में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 क में यथा–विनिर्दिष्ट, फास्टैग दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से पूर्व यान में लगाया जाएगा।

(4) यान में नियम 104 में यथा–विनिर्दिष्ट परावर्तक पट्टी (रिफलैक्टिव टेप्स) यान के आगे व पीछे लगाया जाएगा।

(5) यान में एआईएस 140 के अनुसार "यान ट्रैकिंग प्रणाली उपकरण" लगाया जाएगा।

(6) यदि किसी विशिष्ट राज्य द्वारा प्रतिबंधित हो, तो यान एक ही राज्य में दो स्थानों पर माल न उठाएगा अथवा न ही उतारेगा।

3. उक्त नियम में, नियम 62 में, उप–नियम (1) में,–

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) परिवहन यानों के संबंध मे यान के ठीक होने का प्रमाणपत्र का नवीकरण	आठ वर्ष तक के पुराने यानों की दशा में दो वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने यानों के लिए एक वर्ष";

(ii) खण्ड (ग) और खण्ड (घ) का लोप किया जाएगा।

(iii) परन्तुक में, सारिणी में, क्रम सं0 17 के पश्चात, और सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

(18)	फास्टैग	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	विंड स्क्रीन पर सामने चिपकाने के लिए";

(iv) चौथे परन्तुक में, स्पष्टीकरण के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि पूरी तरह से निर्मित बेचे जाने वाले नए परिवहन यान के लिए रजिस्ट्रीकरण के समय वाहन के ठीक हालत में होने के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे वाहन को रजिस्ट्रीकरण की तिथि से दो वर्ष के लिए ठीक हालत में माना जायेगा"

4. उक्त नियम में, नियम 138 क, के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"138 ख. सभी माल यान बंद बॉडी के यान या कन्टेनर में माल ढोयेंगे:

परन्तु यदि खुली बाडी में माल ले जाया जाना आवश्यक हो तो ऐसा माल यान युक्तियुक्त कवर जैसे त्रिपाल व अन्य सामग्री से ढका जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि ले जाये जाने वाला माल अविभाज्य प्रकृति का हो, बंद बाडी की गाड़ी में ले जाये जाने योग्य न हो या प्रथम परन्तुक के अनुसार ढकने योग्य नहीं हो तो बिना ढके हुए ले जाया जा सकता है।"

5. उक्त नियम में, नियम 139 में,–

(i) शब्द "मोटर यान का ड्राइवर या कण्डेक्टर प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेगा", के पश्चात् शब्द "भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में" अंतः स्थापित किया जाएगा।

(ii) शब्द "रजिस्ट्रीकरण, बीमा, स्वस्थता एवं परमिट तथा चालन अनुज्ञप्ति" के पश्चात् शब्द "प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र" को अंतः स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी–11028/15/2017–एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खन्ड 3, उप–खन्ड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 को प्रकाशित किया गया था और अन्तिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 931(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2018

G.S.R. 1081(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 643(E), dated the 12th July, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected there by before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 12th July, 2018;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989(herein after referred to as the said rules), for rule 90, the following rule shall be substituted, namely: -

"Rule 90. Additional conditions for national permit. - The national permit issued under sub-section (12) of section 88 shall be subject to the following additional conditions, namely: -

(1) The words "National Permit or N/P" shall be inscribed in the front and rear of the vehicles in bold letters. In case of trailers, the words "N/P" shall be inscribed on the rear and left side of the vehicle.

(2) The body of a tanker carrying dangerous or hazardous goods shall be painted in white colour and shall display the class label, as specified in rule 137,on both the sides and rear of the tanker.

(3) The vehicle shall be fitted with FASTag, as specified in rule 138A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 not later than 1st October, 2019.

(4) Vehicle shall be affixed with reflective tapes at front and rear as specified under Rule 104.

(5) Vehicle shall be fitted with a Vehicle Tracking System device as per AIS 140.

(6) The vehicle shall not pick up or set down goods between two points in the same state, if restricted by the particular state.

3. In the said rule, in rule 62, in sub-rule (1),-

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years.";

(ii) clause (c) and clause (d) shall be deleted;

(iii) in the proviso, in the Table, after Sl. No. 17, and the entries relating thereto, the following Sl. and entries shall be inserted, namely:-

"

(18)	Fastag	Yes	No	Yes	No	No	To be affixed on the front wind screen

";

(iv) In the fourth proviso, after the explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that no fitness certification shall be required at the time of registration for new transport vehicle sold as fully built vehicle and such vehicle shall be deemed to be having certificate of fitness for a period of two years from the date of registration."

4. In the said rule, after rule 138-A, the following rule shall be inserted, namely:-

"138 B. All goods carriage vehicles shall carry goods in a closed body of the vehicle or container:

Provided that if it is necessary to carry goods in open bodies, goods shall be covered by using appropriate cover like tarpaulin or any other suitable material:

Provided further that the goods of indivisible nature, not capable of being carried in a closed body or being covered as per the first proviso, may be carried without cover."

5. In the said rule, in rule 139,-

(i) after the words "the driver or a conductor of a motor vehicle shall produce certificates" the words "in physical or electronic form" shall be inserted;

(ii) after the words "of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence" the words "certificate for Pollution Under Check" shall be inserted.

[F.No. RT-11028/15/2017-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 931(E) dated 27th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.